

प्रेस नोट

20.07.2021

हत्या सहित विभिन्न मामलों में कुल 07 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—

आज दिनांक 20.07.2021 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना **मुहम्मदाबाद** पुलिस द्वारा नरौनी में मारपीट के बाद हुयी मृत्यु मामले में पंजीकृत मु0अ0सं0 289/21 धारा 323,504,506,302 भादवि0 में वांछित अभियुक्तगण रामायण पुत्र रामाकान्त यादव, पवन पुत्र नारायण यादव निवासीगण नरौनी थाना मुहम्मदाबाद, थाना **कोतवाली** पुलिस द्वारा मछली मण्डी के पास से, दुकान में फायर करने मामले में पंजीकृत मु0अ0सं0 277/21 धारा 307,504 भादवि0 में वांछित अभियुक्त अरुण सिंह पुत्र स्व0 शैलेन्द्र सिंह निवासी निजामुद्दीनपुरा थाना कोतवाली, थाना **कोपागंज** पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 300/21 धारा 304 भादवि0 में वांछित अभियुक्तागण ममता सोनकर पुत्री स्व0 महेन्द्र सोनकर, रमदेइया पत्नी स्व0 महेन्द्र निवासीगण फूलेलपुरा थाना कोपागंज, पुराघाट पुल के पास से मु0अ0सं0 329/21 धारा 376 भादवि0 व 5/6 पोक्सों एक्ट में वांछित अभियुक्त रविन्द्र राजभर पुत्र शिवधर राजभर निवासी चौबेपुर थाना कोपागंज, कस्बा कोपागंज के पास से मु0अ0सं0 330/21 धारा 354 भादवि0 व 9/10 पोक्सों एक्ट में वांछित अभियुक्त मंचन सोनकर पुत्र त्रिवेणी सोनकर निवासीगण फूलेलपुरा थाना कोपागंज जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में 24 व्यक्ति गिरफ्तार—

आज दिनांक 20.07.2021 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना **चिरैयाकोट** पुलिस द्वारा सेचू, रामू, राजकुमार निवासीगण औसतपुर थाना चिरैयाकोट, थाना **दक्षिणटोला** पुलिस द्वारा संतोष कुमार, ओमप्रकाश, रूदल निवासीगण रैनी थाना दक्षिणटोला, थाना **दोहरीघाट** पुलिस द्वारा सुभाष यादव निवासी पूरमोती थाना दोहरीघाट, थाना **घोसी** पुलिस द्वारा रामप्रवेश, हरेन्द्र निवासीगण ख्वाजापुर, राजाराम, छोटेलाल निवासीगण गौरीडीह थाना घोसी, थाना **हलधरपुर** पुलिस द्वारा रामकृत, इन्द्रजीत निवासीगण कासिमाबाद जनपद गाजीपुर, शैलेन्द्र कुमार निवासी समसौ थाना हलधरपुर, थाना **मुहम्मदाबाद** पुलिस द्वारा अमित, प्रदीप निवासीगण देवकली देवलास थाना मुहम्मदाबाद, थाना **रानीपुर** पुलिस द्वारा नुरुल, निरहू निवासीगण पलिया, श्रवण सिंह, परमानन्द सिंह निवासीगण पलिया थाना रानीपुर, थाना **सरायलखंसी** पुलिस द्वारा विजयीराम, रोशन भारती निवासीगण खानपुर, राजकुमार, जगदीश निवासीगण बढुआ गोदाम थाना सरायलखंसी जनपद मऊ को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।